26-10-18

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारा उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया. वादी द्वारा ग्राम जहागीरपुरा की आराजी ख0नं0 222 की 0.19 है0 ख0नं0 223 की 0.05 है0 ख0नं0 224 की 0.13 है0 ख0नं0 225 की 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 0.52 है0 पर खुद का नाम हुसैन खां के स्थान पर मोहम्मद हुसैन दर्ज करवाने तथा सहमति से सह खातेदार बतूल बाई पुत्री अली मोहम्मद का नाम खाते से खारिज करवाने का अनुतोष चाहा है। सहखातेदार उक्त प्रतिवादी नं0 01 द्वारा दिनांक 17.09.2018 को इकबालिया जवाब पेश कर वादगस्त भूमि पर से नाम हटाने पर अनापप्ति जाहीर की गई है। अर्थात प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वाद वादी को पुर्णतया स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा दिनांक 24.09.2018 को जवाब पेश कर यह स्वीकार किया गया है कि मतदाता पहचान पत्र, एवं ग्राम पंचायत बनेठिया के प्रमाण पत्र में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन और हुसैन खान एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 2 द्वारा मात्र वाद के संबंध में धारा 80 जा0दी0 के संबंध में ही उजरदारी प्रस्तुत की है। अन्य उजरदारीया प्रस्तुत नही की है। वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 2 के उजरदारी बाबत प्रार्थना पत्र एवं शपथं पत्र धारा 80 जा0दी प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार किया जाता है एवं वाद को इमीजिऐट रिलीफ से संबंधित होने के कारण

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो ता

प्रतिवादी नं0 2 को 2 माह के नोटिस से मुक्त किया जाता है।

प्रकरण के संबंध में सम्यक विचार किया गया वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगणं को स्वीकृति की हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। किन्तु यदि वादी का वाद वादी द्वारा यथा अपेक्षित परिस्थिति में स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी नं0 2 को राजस्व हानी होनो सम्भावय है। क्योकि वादग्रत भूमि के वादी एवं प्रतिवादी नं01 दोनो अभिलिखीत सह खातेदार है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की वल्दीयत भी एक ही है और वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 इस बात पर एक राय है कि दोनो आपस में सगे भाई–बहन है। यदि प्रतिवादी नं0 1 वादी के पक्ष में अपने स्वत्व का सम्पर्ण भी करना चाहती है तो सहमति की हद तक वादगस्त भूमि से उसका नाम पृथक किया जा सकता है और वादी को वादगत भूमि का एकमेव अभिधारी घोषित किया जा सकता है किन्तु इस प्रकार इस प्रक्रिया के परिपेक्ष में प्रतिवादी नं0 2 को मुद्राक शुल्क की हानी होना सम्भावय है। लिहाजा प्रकरण के परिपेक्ष में सम्यक मननो उपरान्त हम यह पाते है कि वाद गस्त भूमि से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाये जाने के प्ररिणाम स्वरूप प्रतिवादी नं0 2 को वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी नं0 1 के हक–त्याग पत्र बावत जितना मुद्राक शुल्क देय है। वह नियमानुसार प्रतिवादी नं0 2 को भुगतान किया जावे।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम जहागीरपुरा की आराजी ख0नं0 222 की 0.19 है0 ख0नं0 223 की 0.05 है0 ख0नं0 224 की 0.13 है0 ख0नं0 225 की 0.15 है0 कुल किता 4 रकवा 0.52 है0 पर से प्रतिव़ादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। हुसैन खां के स्थान पर मोहम्द हुसैन उफॅ हुसैन खा दर्ज किया जावे। प्रतिवादी नं0 2 को हक–त्याग पत्र के समान मुद्राक शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार अंतिम डिक्री मूर्तिव हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को मरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो ।

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. मोहम्मद हुसेन आत्मज अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. बतूल बाई पुत्री अली मोहम्मद, पत्नी फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 66/2018

निर्णय दिनांक :– 26.10.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आ0ए0एस0 बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर मिनजानिब मुददई रूवरू मिनजानिब मुद्दालयह श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जहागीरपुरा की आराजी ख0नं0 222 की 0.19 है0 ख0नं0 223 की 0.05 है0 ख0नं0 224 की 0.13 है0 ख0नं0 225 की 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 0.52 है0 पर से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। हुसैन खां के स्थान पर मोहम्द हुसैन उर्फ हुसैन खाँ दर्ज किया जावे। प्रतिवादी नं0 2 को हक–त्याग पत्र के समान मुद्राक शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार अंतिम डिक्री मूर्तिब हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.10.2018 को जारी किया गया।

Scanned by CamScanner

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बावत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)

सहायक कलक्टर

दीगोद

Scanned by CamScanner